

फर्ड अहकाम

(नियम 28)

जज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम सिरोही  
 बनाम विद्याशंकर व अशु  
 कसम मुकदमा 88, 188, 53 स 44 न नं. 68 सन 2016

तारीख / हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुआ
---------------	------------------------------------	---

10/11/25 पत्रावली पेश हुई पीठमिन डबिळायी S.I R की VC-मे पधारे ही छान पत्रावली इलतबा होकर दिनांक 19/11/26 को पेश हो

19/11/26 पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपकील प्रतिवादी उपकील वकीलवादी के प्रतिवादी को 6 से 10 के PIF सम्मन पेश करने के लिये सर्वथा अविम्व अपसर दिया जाता है। PIF पेश नहीं करने पर अपसर बंद माना जायेगा। पत्रावली दिनांक 6/2/26 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर सिरोही (राब०)

6/2/26 पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली उपकील वकील के द्वारा उपर उद्धृत कर पुनः उद्धृत करने का Right Reserve करते हुए अतः वकील के withdrawal किया है किन्तु किन्तु अपकील उद्धृत वास डी पत्रा 88, 188, 53 स 44 नो अब आज चलाने के कोई ऑनिलन मोसे सेरे के उद्धृत करने withdrawal वाजेत किया जाता है। निर्वाण से - इजलास (माल जमा) पत्रावली डीलत सुभास सेना कलेक्टर नम. 6/1

सहायक कलेक्टर सिरोही (राब०)